पत्रांक– 3/एम0–17/2023सा0प्र0 13888 /

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

डॉ0 बी0 राजेन्दर
सरकार के प्रधान सचिव

सेवा में

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव
सभी विभागाध्यक्ष
पुलिस महानिदेशक
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

पटना–15, दिनांक– 21.7. 2023

विषयः– सरकारी सेवकों के निलंबन से संबंधित नीति निर्धारण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–9 में किसी सरकारी सेवक के अनुशासनिक प्राधिकार में निम्न स्थितियों में संबंधित सरकारी सेवक को निलंबित करने की शक्ति विहित की गयी है–

"9. **निलम्बन का आदेश।**– (1) नियुक्ति प्राधिकार या ऐसा कोई भी प्राधिकार जिसका नियुक्ति प्राधिकार अधीनस्थ हो या अनुशासनिक प्राधिकार या सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य प्राधिकार किसी सरकारी सेवक को निलंबित कर सकेगा जब–

(i) सरकारी सेवक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही चलायी जानी हो या लंबित हो, अथवा

(ii) उपर्युक्त प्राधिकार की राय में सरकारी सेवक राज्य की सुरक्षा–हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले क्रियाकलाप में संलिप्त हो, अथवा

(iii) सरकारी सेवक के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला अन्वेषण, जाँच या विचारण के अधीन हो और सक्षम प्राधिकार की राय में लोकहित में सरकारी सेवक को निलंबित करना समीचीन हो।"

2

इसके अतिरिक्त नियमावली के नियम–9(2) के प्रावधान के आलोक में यदि कोई सरकारी सेवक किसी आपराधिक मामले की जाँच के क्रम में अथवा किसी आपराधिक मामले में दोषसिद्ध पाये जाने के फलस्वरूप 48 घंटे से ज्यादा अवधि के लिए कारानिरुद्ध किया गया हो, तब वह कारावास में भेजे जाने की तिथि से ही वह निलंबित किया गया समझा जायेगा।

2. सरकार के समक्ष कतिपय ऐसे दृष्टांत सामने आये हैं जिनमें संबंधित सरकारी सेवक को अतिसामान्य आरोप के लिए निलंबित किया गया है अथवा कतिपय निलंबित सरकारी सेवक काफी लम्बी अवधि से निलंबित हैं।

3. निलंबित सरकारी सेवकों के निलंबन की आवधिक समीक्षा के संदर्भ में तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग) के परिपत्र संख्या–8537 दिनांक–06.07.1981 द्वारा कतिपय मार्गदर्शन निर्गत किया गया था तथा तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग) के परिपत्र संख्या–9160 दिनांक–21.07.1986 एवं परिपत्र संख्या–107 दिनांक–06.11.1993 द्वारा प्रासंगिक अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश पुनः निर्गत किया गया था।

4. उपर्युक्त कंडिका–3 में वर्णित परिपत्र बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के प्रवृत्त होने के पूर्व निर्गत किये गये हैं। नियमावली के नियम–32 में किये गये **निरसन एवं व्यावृत्ति** के प्रावधान के आलोक में दिनांक–13.07.2005 को नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व की नियमावलियाँ अथवा उनके अधीन समय–समय पर निर्गत सभी अनुदेश निरसित किये जा चुके हैं। वर्णित स्थिति में वर्तमान में प्रवृत्त नियमावली के परिप्रेक्ष्य में सरकारी सेवकों को निलंबित किये जाने अथवा लम्बी अवधि से निलंबित सरकारी सेवकों के निलंबन की आवधिक समीक्षा किये जाने के संदर्भ में एक मार्गदर्शन निर्गत किये जाने की आवश्यकता है।

5. अतः सरकारी सेवकों के निलंबन की समीक्षा हेतु सम्यक् विचारोपरान्त निम्नांकित निर्णय लिया जाता है–

(i) किसी आरोप प्रकरण में यदि प्रतिवेदित आरोप लघु दण्ड दिये जाने योग्य हों, तब ऐसे मामलों में संबंधित सरकारी सेवकों को निलंबित नहीं किया जाय।

(ii) प्रतिवेदित आरोपों की प्रकृति, गम्भीरता एवं संवेदनशीलता पर सम्यक् विचार के उपरान्त ही अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा संबंधित सरकारी सेवक को निलंबित करने का निर्णय लिया जाय।

(iii) प्रत्येक अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा उनके नियंत्रणाधीन 01(एक) वर्ष से ज्यादा अवधि से निलंबित सरकारी सेवकों के निलंबन की प्रत्येक 03(तीन) महीने में समीक्षा की जाय। ऐसे मामलों में यदि प्रतिवेदित आरोप गम्भीर एवं संवेदनशील हों, तभी निलंबन को बरकरार रखने का निर्णय लिया जाय। शेष मामलों में संबंधित सरकारी सेवक को निलंबनमुक्त करते हुए उन्हें ऐसे पद पर पदस्थापित किया जाय जहाँ से वे उनके विरुद्ध संचालित मामले को प्रभावित न कर सकें।

6. अनुरोध है कि उपर्युक्त निर्णय का अनुपालन करने हेतु अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों/कर्मियों को निदेशित किया जाय।

विश्वासभाजन,

20.7.2023

(डॉ0 बी0 सजेन्दर)
सरकार के प्रधान सचिव